राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–719 / 2009

हुकमा राम

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. अति. निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजकीय चिकित्सालय, लाडनू, जिला नागौर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 01.02.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री प्रिया पारीक, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : डॉ. पुष्पेन्द्र पाल सिंह, अति.राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति मेल नर्स के रूप दिनांक 31.09.1989 को प्रत्यर्थी विभाग में हुई थी। इसके पश्चात आदेश दिनांक 12.08.2008 के द्वारा अपीलार्थी को नर्स ग्रेड–द्वितीय से नर्स ग्रेड–प्रथम के पद पर तदर्थ रूप से पदोन्नति प्रदान की गई थी। डीपीसी के पश्चात आदेश दिनांक 30.06.2009 के द्वारा अपीलार्थी को विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा के आधार पर नर्स ग्रेड–प्रथम के पद पर निर्धारित वेतन श्रृंखला में वर्ष 2005–06 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति दी गई। उक्त पदोन्नति उपरांत आदेश दिनांक 12.08.2009 (अनुलग्नक–6) के द्वारा अपीलार्थी को दी गई पदोन्नति को इस आधार पर आस्थगित किये जाने का आदेश पारित किया कि अपीलार्थी के विरूद्ध विभागीय जांच लम्बित / प्रस्तावित है। तत्पश्चात आदेश दिनांक 12.08.2009 के द्वारा अपीलार्थी को विभागीय जांच लम्बित होने के कारण उनका पदस्थापन स्थान सीएमएचओ नागौर किये जाने के आदेश पारित किये गये। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी को आदेश दिनांक 30.06.2009 के द्वारा वर्ष 2005–06 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति प्रदान की गई थी। आदेश पारित होने की दिनांक तक अपीलार्थी

के विरूद्ध कोई विभागीय जांच लम्बित नहीं थी। ऐसे में अपीलार्थी की पदोन्नति को स्थगित किया जाना गलत था।

2. उल्लेखनीय है कि इस अधिकरण द्वारा अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 17.12.2009 के द्वारा यह आदेश पारित किया गया था कि अपीलार्थी को उसके पदोन्नति पद नर्स ग्रेड–प्रथम के पद पर कार्य करने एवं इस पद का वेतन व भत्तों का भुगतान किया जाये।

3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि विभाग के पदोन्नति आदेश दिनांक 30/06/2009 अपील का एनेक्जर–04 के अनुसार नर्स द्वितीय से नर्स प्रथम के पद की रिव्यू डीपीसी वर्ष 1991–92 सं 2003–04 तक एवं नियमित डीपीसी वर्ष 2004–05 से 2006–07 तक राजस्थान चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 यथा संशोधित नियमों के नियम 24 (12–ए) के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंपा पर नर्स प्रथम की निर्धारित वेतन श्रृंखला में नर्स प्रथम के पद पर कम संख्या 199 पर चयनित किया गया था, लेकिन विभाग के आदेश दिनांक 12/08/2009 अपील का एनेक्जर–06 के अनुसार अपीलार्थी की पूर्व में की गयी पदोन्नति सूचना के अभाव में विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा पर नर्स प्रथम पर गलती से पदोन्नति नर्स ग्रेड प्रथम में कर दी गयी जो कि अपीलार्थी के विरूद्ध विभागीय जाँच लम्बित या प्रस्तावित हाने के कारण आगामी आदेशों तक निरस्त कर दी गयी जो कि नियमानुसार सही है। इसप्रकार विभाग के आदेश दिनांक 20/08/2009 अपील का एनेक्जर–07 के अनुसार विभाग के आदेश 12/08/2009 की अनुपालना में प्रमुख चिकित्सा अधिकारी राजकीय चिकित्सालय लाडनूँ जिला नागौर द्वारा अपीलार्थी का पदास्थापन सीएमएचओ नागौर किया गया और विभाग के आदेश दिनांक 28/10/2009 के अनुसार पदोन्नति निरस्त करने के उपरान्त अपीलार्थी स्वेच्छा से अनुपस्थित रहा और 15/10/2009 को उपस्थिति दी जो कि इनका पदस्थापन नर्स ग्रेड द्वितीय के पद पर राजकीय चिकित्सालय लाडनूँ जिला नागौर रिक्त पद पर कर दिया गया जो नियमानुसार सही है।

4. हमनें दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपने जवाब में यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी के विरूद्ध विभागीय जांच लम्बित/प्रस्तावित होने के कारण उनकी पदोन्नति का आदेश निरस्त किया गया। परंतु प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विभागीय जांच लम्बित होने के

संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। यह भी प्रकट नहीं किया गया कि अपीलार्थी को विभागीय जांच हेतु आरोप पत्र कब दिया गया था। अपीलार्थी की ओर से आज प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर यह प्रार्थना की गई है कि अपीलार्थी को आरोप पत्र दिनांक 03.08.2010 को दिया गया, जिसकी प्रति भी अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत की गई है। अतः हम यह पाते हैं कि अपीलार्थी को दिनांक 03.08.2010 को जब आरोप पत्र दिया गया था तो उसके पूर्व में दी गई पदोन्नति को निरस्त किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। इस संबंध में हम कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 04.06.2008 का उल्लेख करना उचित पाते हैं। उक्त परिपत्र का मत संख्या 12.13 निम्न प्रकार से हैः–

"**12.13** यह उल्लेखनीय है कि राजसेवक के विरूद्ध लम्बित अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा फौजदारी प्रकरण लम्बित होने की स्थिति को विभागीय पदोन्नति समिति वर्ष के प्रथम दिवस अर्थात् 1 अप्रेल की स्थिति में ही नहीं देखा जाना है वरन् राजसेवक जिस रिक्ति के विरूद्ध पदोन्नति हेतु चयनित किया जाना प्रस्तावित है, उस रिक्ति की उपलब्धता के समय बिन्दू तक लम्बित अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा फौजदारी प्रकरण की स्थिति विचारार्थ होगी। यह इसलिये आवश्यक है क्योंकि हालांकि रिक्तियों का अवधारण 1 अप्रेल को या उस समय की सम्भावनाओं के मध्यनजर किया जाता है किन्तु समस्त रिक्तियां 1 अप्रेल को ही उपलब्ध नहीं होती हैं, अपितु कुछ रिक्तियां बाद में भी उपलब्ध होती हैं। इस सन्दर्भ में निम्न बिन्दू ध्यान में रखने योग्य हैंः–

(i) विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा किसी भी विभागीय पदोन्नति समिति वर्ष में पदोन्नति हेतु विचार करते समय पदोन्नति के पात्र राजसेवकों के विरूद्ध लम्बित अनुशासनिक कार्यवाही/ फौजदारी प्रकरण/दण्डादेश/ निलम्बन की स्थिति का आंकलन उस रिक्ति के संदर्भ में किया जायेगा जिस रिक्ति के विरूद्ध राजसेवक पदोन्नति हेतु विचारार्थ है, अर्थात् राजसेवक जिस रिक्ति के विरूद्ध चयनित होता है, उस रिक्ति की उपलब्धता जिस दिवस को होती है, उस दिवस तक की स्थिति में राजसेवक के विरूद्ध लम्बित अनुशासनिक कार्यवाही/फौजदारी प्रकरण/दण्डादेश/निलम्बन इत्यादि पर विभागीय पदोन्नति समिति को विचार करना होगा।

(ii) जिन प्रकरणों में रिक्ति की उपलब्धता के दिवस से पूर्व ही विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित हो चुकी हो और संबंधित राजसेवक के चयनित हो जाने के परिणामस्वरूप पदोन्नति आदेश प्रसारित किया जाना हो तो, आदेश प्रसारित करने से पूर्व सम्बन्धित प्राधिकारी को यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा कि विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयनित राजसेवक रिक्ति की उपलब्धता की तिथि तक सेवा अभिलेख के तौर पर स्वच्छ छवि का है; अर्थात् चयनित राजसेवक के संदर्भ में जिस

दिवस को रिक्ति उपलब्ध हुई है, उस दिवस तक अनुशासनिक कार्यवाही/फौजदारी प्रकरण/दण्डादेश एवं निलम्बन की स्थिति नहीं हो, अन्यथा स्थिति में उसकी पदोन्नति को आस्थगित (in abeyance) रखते हुये समिति की सिफारिशों को बन्द लिफाफे में रखे जाने की कार्यवाही की जाए।

(iii) जिन प्रकरणों में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित हो चुकी है और राजसेवक जिस उपलब्ध रिक्ति के विरूद्ध चयनित हुआ है, उस रिक्ति की उपलब्धता की तिथि से पूर्व ही राजसेवक के विरूद्ध लम्बित अनुशासनिक कार्यवाही/आपराधिक फौजदारी प्रकरण प्रारम्भ होकर निर्णित हो जाए और उसे शास्ति अथवा दण्ड अधिरोपित हो जाए तो उसके पदोन्नति आदेश प्रसारित नहीं किये जाए और उसकी पदोन्नति सम्बन्धी सिफारिशों को आस्थगित रखते हुये विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित करके प्रकरण के पुनर्विलोकन की कार्यवाही की जाए, ताकि उक्त अयोग्य हो चुके राजसेवक की पदोन्नति का प्रकरण निस्तारित होकर अन्य सुयोग्य राजसेवकों को पदोन्नति का लाभ प्राप्त हो सके।

(iv) ऐसे प्रकरणों में जिनमें विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित हो चुकी हो और राजसेवकों के पदोन्नति के चयन की सिफारिशों के उपरान्त आदेश प्रसारण की स्थिति में राजसेवक जिस दिवस को उपलब्ध रिक्ति के विरूद्ध चयनित हुआ है, उसकी पदोन्नति का आदेश प्रसारित होने से पूर्व यदि किसी मामले में यह राजसेवक निलम्बित हो जाए तो वह राजसेवक जब तक निलम्बन से बहाल नहीं हो जाए, तब तक पदोन्नति आदेश आस्थगित रखा जाए। उसका चयन स्वतः ही बन्द लिफाफे में आ जायेगा।

(v) जिन प्रकरणों में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक रिक्ति उत्पन्न होने के पश्चात् हो रही हो (विशेषकर पूर्व वर्षों की रिक्तियों पर पदोन्नति हेतु) और किसी राजसेवक के विरूद्ध कोई अनुशासनात्मक/फौजदारी प्रकरण जो उसके लिए प्राप्त हुई रिक्ति के पश्चात् प्रारम्भ हुआ हो और बैठक के दिनांक को लम्बित हो, तो यह प्रकरण उस राजसेवक की पदोन्नति में बाधक नहीं होगा चाहे इस प्रकरण में राजसेवक को सेवा से पदच्युत (dismissal)/सेवा से हटाने (removal) के अतिरिक्त अन्य कोई सजा दी गई हो।

(vi) वर्ष के प्रथम दिवस को राजसेवक के विरूद्ध अनुशासनात्मक/फौजदारी प्रकरण/निलम्बन लम्बित हो जिसके कारण बन्द लिफाफे की कार्यवाही आवश्यक है, परन्तु बैठक से पूर्व ही यदि उसका निस्तारण हो जाए तो इस सम्बन्ध में प्रसारित आदेश प्रवृत्त होगा, बन्द लिफाफे की प्रक्रिया नहीं।''

5. अतः उपरोक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि पदोन्नति के समय प्रस्तावित अनुशासनात्मक कार्यवाही ध्यान में नहीं रखी जाती है। केवलमात्र लम्बित अनुशासनात्मक कार्यवाही को ही दृष्टिगत रखा जा सकता है। यह भी

स्पष्ट किया गया है कि अनुशासनात्मक कार्यवाही की स्थिति का आकलन रिक्तियों के संदर्भ में किया जायेगा। जिस रिक्ति के विरूद्ध राजसेवक पदोन्नति हेतु विचारार्थ है अर्थात् राजसेवक जिस रिक्ति के विरूद्ध चयतिन होता है, उस रिक्ति की उपलब्धता जिस दिवस को होती है, उस दिवस तक की स्थिति में राजसेवक के विरूद्ध लम्बित अनुशासनात्मक कार्यवाही पर विभागीय पदोन्नति समिति को विचार किया जाना होगा। वर्तमान प्रकरण में अपीलार्थी को विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा वर्ष 2005–06 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति प्रदान की गई है। वर्ष 2005 तक की स्थिति तक की लम्बित अनुशासनात्मक कार्यवाही पर विचार किया जा सकता था, परंतु स्पष्ट रूप से वर्ष 2005 तक अपीलार्थी के विरूद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लम्बित होना हमारे सामने प्रकट नहीं होता हैं। ऐसे में अपीलार्थी को वर्ष 2005–06 की रिक्तियों के विरूद्ध दी गई पदोन्नति को निरस्त किया जाना हम उचित नहीं पाते हैं।

6. परिणामस्वरूप अपीलार्थी के संबंध में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 12.08.2009 (अनुलग्नक–6) निरस्त किया जाता है। प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी को विभागीय पदोन्नति समिति के चयन आदेश दिनांक 30.06.2009 (अनुलग्नक–4) की पालना की जाये एवं अपीलार्थी को समस्त वास्तविक पारिणामिक लाभ प्रदान किये जाये।
7. इस आदेश की पालना 3 माह में किया जाना सुनिश्चित करें।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)